न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 63/14 निर्णय दिनांकः—11.02.2019

1. ओमप्रकाश पुत्र फरसाराम जाति सोनी निवासी केऊ पुरानी तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र फरसाराम जाति सोनी निवासी केऊ पुरानी तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. श्यामसुन्दर पुत्र फरसाराम जाति सोनी निवासी केऊ पुरानी तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. उदाराम पुत्र सुरजाराम जाति सोनी निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. दानाराम
3. चुन्नीलाल
4. मोहनलाल
5. फुसाराम

(2–5) पुत्रगण उदाराम जाति सोन निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. श्रीमती शारदा पत्नी फूसाराम जाति सोनी निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. नारायण पुत्र श्री फरसाराम जाति सोनी निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 21—04—2014
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2 व 4 ता 6
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 21–04–2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा केऊ तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 231 तादादी 5.82 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 164, खसरा नम्बर 331 तादादी 8.32 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 243 एवं खसरा नम्बर 539 तादादी 28.22 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 384 स्थित चली आ रही है। जिसके धोषण एवं बंटवारे का वाद अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र के साथ अपीलांट्स द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–01–2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की क्रयशुदा भूमि बताई गई है। जबकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति थी जिस पर अदालत मातहत द्वारा कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सभी पुत्रों को बंटवारें में भूमि नियमानुसार दे दी है। जबकि वादगत् भूमि का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी यथा बैयनामा आदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की क्रयशुदा भूमि अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि रही हो। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने अन्य पुत्रों व पुत्रवधुओं को उक्त वर्णित कृषि भूमि में से विक्रय एवं दान कर दी जबकि अपीलांट के पिता जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ही पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अपीलांट सगे पोत्र होने से वादगत् भूमि पर बाई बर्थ राईट्स है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर भी अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो त्रूटिपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है।

अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि पर बाई बर्थ राईट्स होने के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया था तथा उसी के आधार पर धोषणा एवं बंटवारें की मांग की गई थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पति में पौत्र का जन्म से अधिकार निहित है। उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व कानून के मूलभूत सिद्वान्तों की पालना करते हुए आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश कानून की नजर में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है।अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 231 तादादी 5.8200 हेक्टर वाके रोही केऊ स्वअर्जित भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट का निरन्तर कब्जा काश्त

चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता फरसाराम का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर उसके जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादगत् भूमि कभी भी पैतृक सम्पति नहीं रही है। प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने बड़े पुत्रों दानाराम व फरसाराम को दिनांक 15—06—1965 को अपनी कमाई से खसरा नम्बर 241 तादादी 241 तादादी 31 बीघा 12 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 394/252 तादादी 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि खरीद कर दी थी। जब दानाराम व फरसराम अलग हुए तब उस खेत पर दानाराम व फरसाराम का आधा—आधा हिस्सा पर कब्जा करवा दिया गया था। तत्पश्चात् खसरा नम्बर 341, 539, 617/539 की भूमि दान कर दी थी। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास खसरा नम्बर 231 की दक्षिण की तरफ 2.91 हेक्टर भूमि शेष रही। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित सम्पति है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह पाये जाने पर की वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यह पाये जाने पर कि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है, अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण एवं आवश्यक इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स के किसी प्रकार के हक व हकूक पैदा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही मौजा केऊ तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 231 तादादी 5.82 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 164, खसरा नम्बर 331 तादादी 8.32 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 243 एवं खसरा नम्बर 539 तादादी 28.22 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 384 के बाबत् अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर अपीलांट्स का बाई बर्थ अधिकार निहित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के हक व हकूकों के निर्धारण का प्रश्न उठाने से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी आवश्यक है कि क्या आदेश जैर अपील विधि के प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया आदेश है अथवा नहीं?

(4) इस संबंध में हमने अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03—10—2011 को प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में मानते हुए प्रकरण में एकतरफा सुनवाई करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये।

(5) प्रकरण में हमने सूरजाराम की वंशावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वंशावली निम्न प्रकार हैः—

सूरजाराम

उदाराम **पोकरराम**

दानाराम फरसाराम चुन्नीलाल मोहनलाल फूसाराम ज्यानी शांति पन्नी

ओमप्रकाश जगदीश प्रसाद श्यामसुन्दर नारायण धनेश्वरी सीता द्रोपती

उक्त वंशावली से साबित है कि वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादगत् में तय होने है।

(6) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों को ताक पर रखते हुए आदेश पारित किये जावे। न्याय कभी भी इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील अपने आप में अपूर्ण व न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पारित किया गया आदेश है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील काबिल निरस्त होने से निरस्त किया जाता है।

(7) अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश जैर अपील अपने आप में अपरिक्वपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूॅंगरगढ़ का आदेश दिनांक 21—04—2014 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर